FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला नागौर राजस्थान

महावीरप्रसाद पुत्र श्योपालराम जाति जाट
सा. टोडास तह. कुचामन सिटी

बनाम

भंवरीदेवी पत्नि रूगाराम जाति जाट वगै.
सा. टोडास तह. कुचामन सिटी

केस्म मुकदमां : 212 आरटीए

मुकदमां नम्बर 07-6/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
6.06.2023	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगलाल बिजारणियां ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 292, 293 कुल रकबा 2.01 हैक्टर भूमि का अप्रार्थीगण किसी प्रकार का बैचान/हस्तानांतरण नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं कच्चा–पक्का निमार्ण नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 5 अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैचान/हस्तानांतरण दस्तावेज स्वीकार नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 6 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.08.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
7/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 9/10/23 को पेश हो। Sd	
9/10/23	अधिवक्ता प्रार्थी उप० तामील/अदम तामील नोटिस प्राप्त नहीं पुनः पेश की जो जारी होकर पत्रावली दि० 17/10/23 को पेश हो। Sd	
17/10/23	अधिवक्ता प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण के तामील बाद नोटिस प्राप्त अप्रार्थी संख्या 5, [illegible] तामील शुदा नोटिस प्राप्त बावजूद [illegible] कार्यवाही अमल में [illegible] जाती है [illegible] के अदम तामील प्राप्त [illegible] 20/11/23 को पेश हो। Sd	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:09:46 IST
Reason: SelfAttested

महावीर प्रसाद बनाम भंवरी देवी वगै. US 212 RTA ~~88/180~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मै जारी
	मु. नं. 076/2023	
20/11/23	पत्रावली पेश हुई। बवजह उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बाहर है पत्रावली दिनांक ...28/11/23... को पेश हो। Sd	
28/11/23	अधिवक्ता प्रार्थी उप० बकाया की नकल पेश करने हेतु हिदायत की गई। दि० 29/11/23 को पेश हो। Sd	
29/11/23	अधिवक्ता प्रार्थी उप० पूर्व आदेश की पालना में पत्रावली दि० 30/11/23 को पेश हो। Sd	
30/11/23	पत्रावली पेश हुई। मूल वाद पत्र का निस्तारण हो चुका है इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मूल वाद पत्र का निस्तारण हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। Sd उपखण्ड अधिकारी [illegible]ं (डीडवाना-कुचामन)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:09:46 IST
Reason: SelfAttested